



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-09102026-277005
CG-TL-E-09102026-277005

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948

No. 5329]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 8 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5541(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के तारीख से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में यथा उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन हेतु सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए सारणी स्तम्भ (5) में उल्लिखित अधिकारी को प्राधिकृत करती है.

सारणी

क्र.सं.	विशेष रेल परियोजना	राज्य	जिला	सक्षम प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुकुटवन – गढ़चंद्र स्टेशनों के बीच नई लाइन (38.21 कि.मी.)	महाराष्ट्र	चंद्रापुर	उप-मंडल अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, राजूरा

[फा. सं. W.Con.182/SRP-31/MKBN-GDCR/26-27/305/7A/081026]

बी.कृष्णा रेड्डी, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 8th October, 2026

S.O. 5541(E).— In exercise of the powers conferred by Clause 7(A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in the column(5) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Special Railway Project as mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in Column (3) of the said table with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl.no	Special Railway Project	State	District	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	New Line between Mukutban – Gadchandur Stations (38.21 Km)	Maharashtra	Chandrapur	Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Rajura

[F. No. W.Con.182/SRP-31/MKBN-GDCR/26-27/305/7A/081026]

B. KRISHNA REDDY, Chief Engineer/Con-III